

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन**  
**जिला चित्तौड़गढ़**  
**पीठासीन अधिकारी राजीव बडगूजर (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या / 53 / 2020 वाद

दायर दिनांक 12.10.2020

**उनवान**

1. पोखर पिता भीमा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन मृत्तक के बजाय—  
1/1 किशन पिता पोखर जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।  
1/2 झमकु पत्नि पोखर जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
1. पन्नालाल पिता कूका जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. अमरचन्द पिता प्यारा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन मृत्तक के बजाय—  
2/1 नारायणी बाई पत्नि अमरचन्द जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन  
2/2 सन्तोक पुत्री अमरचन्द जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन  
2/3 शान्ति पुत्री अमरचन्द जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन  
2/4 सुशीला पुत्री अमरचन्द जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन
3. गोवर्धन पिता प्यारा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन मृत्तक के बजाय—  
3/1 सोहनीबाई पत्नि गोवर्धन जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन  
3/2 नरेश पिता गोवर्धन जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन  
3/3 पारस पुत्री गोवर्धन जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन  
3/4 अनोपी पुत्री गोवर्धन जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन  
3/5 सीमा पुत्री गोवर्धन जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन  
3/6 गुड्डी पुत्री गोवर्धन जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन
4. हीरालाल पिता प्यारा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
5. भूमिधारी तहसीलदार कपासन, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।



उपस्थिति:— अधिवक्ता श्री राजकुमार लड्डा,  
एकतरफा

—वादी  
—प्रतिवादी सं0 1 से 4

**—: वाद पत्र अन्तर्गत 53, 188 आर.टी.एक्ट :-**

**निर्णय दिनांक: 27.08.2024**

**—:निर्णय:—**

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा लाखा का खेडा पटवार हल्का तुरकिया खुर्द तहसील कपासन के हल्के बैरुनी के खाता संख्या 38 की आराजी सं0 292, 293, 296,



298, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352 कुल कित्ता 22 कुल रकबा 8.60 है0, जो राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 के 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 के 1/6, प्रतिवादी संख्या 3 के 1/6, प्रतिवादी संख्या 4 के 1/6 हक हिस्से से संयुक्त खातेदारी में राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी में अंकित है। प्रमाणार्थ जमाबन्दी चालु संवत् 2074 से 2077 खाता संख्या 38 की प्रमाणित प्रतिलिपि वादपत्र के साथ संलग्न है।

यह कि उपरोक्त आराजीयात का अभी तक खातेदारान के मध्य किसी प्रकार का कोई विधिवत विभाजन नहीं हुआ है इस कारण आये दिन सीमा, लगान, व कब्जे बाबत पक्षकारान के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण वादी वादग्रस्त आराजीयात का हिस्से अनुसार विभाजन करा अपना हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अलग दर्ज करा विभाजन अनुसार आराजीयात पर कब्जा चाहता है। एवं राजस्व नक्शों में भी विभाजन अनुसार अपना हिस्सा अलग दर्ज कराना चाहता है।

यह कि दिनांक 09/09/2020 को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच में सीमा विवाद हुआ तो वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य सहखातेदारो से निवेदन किया कि तहसील में चलकर अपना हिस्से अनुसार जमीन का विभाजन करवा लेते हैं तो कोई भी सहखातेदारी विभाजन कराने के लिये तैयार नहीं हुआ। इस कारण वादी को अपना हिस्सा अलग दर्ज कराने के लिये यह वाद पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है।

यह कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी हो जाने में प्रतिवादी संख्या एक को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा एव जारी न होने की स्थिति में वादी को बेशुमार नुकसान होगा जिसकी पूर्ति मूल्यों में नहीं की जा सकेगी एवं पक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमे बाजी बढ जायेगी।

यह कि बिनाय मुखास्मत वाद दिनांक 09/09/2020 से पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में वादी ने प्रार्थना की है कि –

— पक्षवादी विरुद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात की हिस्से अनुसार विभाजन की डिक्री प्रदान की जाकर राजस्व रेकार्ड में वादी का हिस्सा व लगान अलग इन्द्राज किया जाने की डिक्री प्रदान की जावे। एव राजस्व नक्शे में भी वादी का हिस्सा अलग से अंकन किया जाने की डिक्री प्रदान की जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। दौराने वाद वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के फौत होने से कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के वारिसान को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1, 4 व 2 व 3 के वारिसान बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने से दिनांक 01.04.2022 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। साथ ही कायम मुकाम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधित अनवान शामिल फाईल किया गया।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 08.04.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 से प्रस्तुत की गई, शा0फा0 रहे। वकील वादी की बहस एकतरफा सुनी गई। वादी व वकील वादी द्वारा आदेशिका पर तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर हस्ताक्षर किये गये। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 27.08.2024 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा लाखा का खेडा पटवार हल्का तुरकिया खुर्द तहसील कपासन के हल्के बैरुनी के खाता संख्या 38 की आराजी सं0 292, 293, 296, 298, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352 कुल कित्ता 22 कुल रकबा 8.60 है0, स्थित हैं में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है—

1. किशनलाल पिता पोखर, झमकुबाई पत्नि पोखर जाति गाडरी सा0 देह खातेदार रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कपासन

क्र.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	302 / 1	0.20	चाही 2
2	304 / 1	0.15	चाही 3
3	307 / 1	0.14	चाही 2
4	309 / 1	0.18	चाही 3
5	343	0.37	बी.1
6	344 / 1	0.29	बी.1
7	347 / 1	0.55	बी.1
8	352 / 1	0.18	बा.3
9	293 / 2	0.03	प.2
10	293 / 4	0.03	प.2
योग	कुल किता-10	2.12	

2. पन्नालाल पिता कुका 1/3, हिरालाल पिता प्यारा 2/9, नाराणी पत्नी अमरचन्द 1/18 नाबालिग हितेश पिता सुरेशचन्द्र सरंक्षक माता संतोषी देवी 1/6, अनोप, गुडडी पिता गोवर्धन, नरेश कुमार, पारस पिता गोवर्धन, सीमा पिता गोवर्धन, सोहनी देवी पत्नी गोवर्धन 2/9 गाडरी सा0 देह खातेदार रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धमाणा हिस्सा हिरालाल

क्र.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	292	0.17	प.2
2	293 / 1	0.03	प.2
3	293 / 3	0.03	प.2
4	293 / 5	0.11	प.2
5	301	0.37	चाही 2
6	302 / 2	0.21	चाही 2
7	304 / 2	0.15	चाही 3
8	306	0.37	चाही 2
9	307 / 2	0.13	चाही 2
10	309 / 2	0.19	चाही 3
11	310	0.30	चाही 3
12	342	0.74	बी.1
13	344 / 2	0.66	बी.1
14	345	0.30	बी.1
15	346	0.50	बी.1
16	347 / 2	0.35	बी.1
17	348	0.86	बी.1
18	350	0.17	प.2
19	351	0.03	प.2
20	347 / 3	0.20	बी.1
21	352 / 2	0.18	बा.3
योग	कुल किता-21	6.39	



3. पन्नलाल पिता कृका 1/4, किशनलाल पिता पोखर, झमकु बाई पत्नी पोखर 1/4 हिरालाल पिता प्यारा 1/6 नारायणी पत्नी अमरचन्द 1/24 नाबालिग हितेश पिता सुरेशचन्द्र संरक्षक माता संतोष 1/8, अनोप गुडडी नरेश कुमार पारस सीमा पिता गोवर्धन सोहनी पत्नी गोवर्धन 1/6 गाडरी सा0 देह खातेदार रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धमाणा हिस्सा हिरालाल, रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कपासन हिस्सा किशनलाल, झमकुबाई

क्र.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	296	0.03	नहर
2	298	0.06	प.2
योग	कुल किता-02	0.09	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजीव बडगूजर)  
सहायक कलक्टर व  
उपखण्ड अधिकारी कपासन